तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नाथूराम बनाम उप वन सरंक्षक मु0नं0 45/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 14/10/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

45/2020

2020/00253

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर (राज0)

नाथूराम उम्र 57 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)

—अपीलान्ट

वनाम

1.उपवन संरक्षक, मरूस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास सीकर (राज0)
2. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राज0)

—रेस्पोडेन्ट

अपील अ0धारा 23 पी.डी.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांकित 25/07/2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर (राज0) आवेदन अन्तर्गत धारा—8 बावत दायित्व से अस्वीकार करने (Peti tion denying liablity) अन्तर्गत धारा 8 Public demand Recovery Act 1952 तथा संशोधित एक्ट 1976 बउनवानी नाथूराम बनाम उपवन सरक्षक

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:—

अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन अं0धारा—8 पी.डी.आर एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि माननीय न्यायालय ने पी0डी0 आर एक्ट की धारा 4 के तहत वसूली हेतु प्रमाण—पत्र अपने आदेश दिनांक 29/09/2015 अन्तर्गत मुकदमा नं0 28/15 बउनवानी उपवन संरक्षक बनाम नाथूराम के आधार पर जारी किया है। उक्त वसूली की राशि दिनांक 04/06/2004 से दिनांक 15/11/2007 तक राशि 3,04,662/—रूपये तथा ब्याज व पैनल्टी सहित धारा 14 व नियम 12 ए के तहत कोस्ट 10 प्रतिशत से 30466/—रूपये अर्थात कुल 6,45,375/—रूपये वसूली योग्य मानकर प्रमाण—पत्र आवेदक के विरूद्ध जारी किया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी वसूली योग्य राशि वन विभाग

LTI
नाथूराम

Scanned by CamScanner